दिल्ली उच्च न्यायालय : नई दिल्ली

निर्णय सुरक्षित करने की तिथि : 03.07.2024

निर्णय सुनाए जाने की तिथि : 09.07.2024

ले.पे.अ. 500/2024, सि.वि.आ. 35331/2024, सि.वि.आ. 35332/2024, सि.वि.आ. 36168/2024

सोनाली छाबूराव गीते .....अपीलार्थी

बनाम

भारत संघ और अन्य
.....प्रत्यर्थीगण

<u>इस मामले में पेश हुए अधिवक्तागण :</u>

अपीलार्थी के लिए : श्री देबेश पांडा, श्री ईशान पुरी, श्री यशार्थ मिश्रा, श्री संचित सूरी, अधिवक्तागण।

प्रत्यर्थीगण के लिए : श्री रोहन जेटली, केंद्र सरकार के स्थायी अधिवक्ता सह श्री हुसैन तक़वी, श्री देव प्रताप शाई, प्रत्यर्थी-1 के लिए अधिवक्तागण।
सुश्री मनप्रीत कौर भसीन, प्रत्यर्थी-2 के लिए अधिवक्ता।

कोरमः

माननीय कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश
माननीय न्यायमूर्ति श्री तुषार राव गेडेला

<u>निर्णय</u>

<u>तुषार राव गेडेला, न्या.</u>

1. वर्तमान अपील को लेटर्स पेटेंट अधिनियम, 1866 के खंड X के तहत दायर किया गया है, जो इस न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा दिनांक 24.05.2024 को पारित निर्णय को चुनौती देती है, जिसमें याचिकाकर्ता द्वारा दाखिल की गई रि.या.(सि) 7611/2024, जिसका शीर्षक *"सोनाली छाबूराव गिते बनाम भारत संघ व अन्य"* है, को खारिज कर दिया गया था

2. वर्तमान अपील से संबंधित तथ्य, गैर-जरूरी विवरणों को हटाकर और जिस रूप में अपील से निकाले गए हैं, निम्नानुसार हैं :-

2.1 अपीलकर्ता का दावा है कि वह एक अंतर्राष्ट्रीय

पावरलिफ्टर है, जिसने कई खिताब हासिल किए हैं, जिनमें एशियन पावरलिफ्टिंग चैंपियनशिप 2018 में स्वर्ण पदक जीतना भी शामिल है। वह एक भारतीय रेलवे पावरलिफ्टिंग खिलाड़ी और 2015 से इसकी कर्मचारी होने का भी दावा करती है। वह प्रत्यर्थी सं. 3/पावरलिफ्टिंग इंडिया की सदस्य है।

2.2 प्रत्यर्थी सं. 2 राष्ट्रीय डोपिंग-रोधी एजेंसी (जिसे आगे *"नाडा"* के रूप में संदर्भित किया गया है) है, जिसे मूल रूप से भारत सरकार द्वारा 2005 में सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 के तहत एक सोसाइटी के रूप में स्थापित किया गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य भारत की स्वतंत्र राष्ट्रीय डोपिंग-रोधी संस्था के रूप में कार्य करना है। यह दावा किया गया है कि प्रत्यर्थी सं. 2/नाडा को उसका संपूर्ण वित्तपोषण प्रत्यर्थी सं. 1/भारत संघ से प्राप्त होता है, जो कथित तौर पर प्रत्यर्थी सं. 2/नाडा पर गहरा और व्यापक नियंत्रण रखता है।

2.3 याचिका में वर्णित वर्तमान मामले के तथ्य यह हैं कि

प्रत्यर्थी सं. 2/नाडा ने 12.08.2023 को अपीलार्थी से मूत्र का नमूना एकत्र किया, ताकि उसमें किसी भी निषिद्ध पदार्थ की उपस्थिति की पुष्टि की जा सके।

2.4 अपीलार्थी को प्रत्यर्थी सं. 3/पावरलिफ्टिंग इंडिया से दिनांक 19.09.2023 का प्रतिकूल विश्लेषणात्मक निष्कर्ष नोटिस (जिसे आगे *"ए.ए.एफ. नोटिस"* के रूप में संदर्भित किया गया है) त्यर्थी सं. 2/नाडा द्वारा भेजा गया एक ईमेल जिसमें प्रतिकूल विश्लेषणात्मक निष्कर्षों वाला एक नोटिस संलग्न था, जिसे प्रत्यर्थी सं. 2/नाडा ने जारी किया था, प्राप्त हुआ। उक्त ए.ए.एफ. नोटिस में आरोप लगाया गया कि अपीलार्थी के मूत्र के नमूने में *ड्रॉस्टेनोलोन मेटाबोलाइट (3a हाइड्रॉक्सी-2a मिथाइल-5a एंड्रोस्टान-17-वन)* पाया गया था। ए.ए.एफ. नोटिस के अनुसार, प्रत्यर्थी सं. 2/नाडा ने इस टिप्पणी के साथ अपीलार्थी पर अस्थायी निलंबन लगा दिया कि अपीलार्थी Aनमूने के निष्कर्ष को स्वीकार न करने का विकल्प चुन सकती है, यदि वह Bनमूने को खोलने और विश्लेषण के लिए आवेदन

करती है।

2.5 अपीलार्थी ने दिनांक 26.09.2023 को ए.ए.एफ. नोटिस के लिए बी-सैंपल व्यवस्थापन प्रपत्र प्रस्तुत किया, जिससे उसने ए-सैंपल के निष्कर्ष को अस्वीकार कर दिया। दिनांक 06.12.2023 को, प्रत्यर्थी सं. 2/नाडा ने बी-सैंपल परीक्षण के लिए अपीलार्थी के आवेदन का उत्तर दिया और अपीलार्थी से लैब शुल्क 17600/- रुपये जमा करने के लिए कहा। अपीलार्थी ने उसी दिन अपेक्षित राशि का भुगतान किया।

2.6 प्रत्यर्थी सं. 2/नाडा ने अपीलार्थी के विरुद्ध आरोप का नोटिस दिनांकित 27.12.2023 जारी किया।

2.7 दिनांक 03.04.2024 को, डोपिंग-रोधी अनुशासनिक पैनल (जिसे आगे *"एडीडीपी"* के रूप में संदर्भित किया गया है) ने 2021 नियमावली के अंतर्गत सुनवाई पैनल का गठन किया।

2.8 अपीलार्थी ने इस न्यायालय में एक रिट याचिका (सि) 7611/2024 दायर की, और विद्वान एकल न्यायाधीश ने अपीलकर्ता द्वारा दायर रिट याचिका (सि)

7611/2024 को दिनांक 24.05.2024 के आक्षेपित आदेश के माध्यम से प्रारंभिक अवस्था में खारिज कर दिया। इसलिए, अपीलार्थी ने वर्तमान अपील दायर की।

3. श्री देबेश पांडा, अपीलार्थी के लिए विद्वान अधिवक्ता ने एकल न्यायाधीश द्वारा पारित विवादित आदेश को इस आधार पर चुनौती दी है कि एकल न्यायाधीश ने अपीलकर्ता के उस तर्क पर विचार नहीं किया कि 2021 नियमावली कार्यकारी आदेश के रूप में हैं और वे कोई प्रत्यायोजित विधान नहीं हैं। उन्होंने प्रस्तुत किया कि उक्त 2021 नियमावली किसी भी संसद अधिनियम पर आधारित नहीं हैं और इस प्रकार, उनके पास कोई कानूनी वैधता नहीं है जो उन्हें कानूनी रूप से लागू किया जा सके। उन्होंने प्रस्तुत किया कि चूंकि 2021 नियमावली कार्यकारी आदेश के रूप में हैं और उनमें कानून की शक्ति नहीं है, इसलिए उनके प्रावधानों को अपीलार्थी के खिलाफ उसके अहित के लिए लागू नहीं किया जा सकता। विद्वान अधिवक्ता के अनुसार, जिन नियमों के तहत अपीलार्थी के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई शुरू की गई है, उनके अवैध होने के कारण, ऐसी

कार्रवाई पूरी तरह से अधिकार क्षेत्र रहित, मनमानी और भारत के संविधान में निहित मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने वाली है।

4. विद्वान अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया कि संसद ने डोपिंग-रोधी कानूनों के संबंध में प्रभावी कानून की कमी को देखते हुए बिल पारित किया और एक कानून, राष्ट्रीय डोपिंग-रोधी प्राधिकरण अधिनियम, 2022 (जिसे आगे *"नाडा अधिनियम"* के रूप में संदर्भित किया गया है) को अधिनियमित किया। हालांकि, यह प्रत्यर्थी सं. 2/नाडा के विवेक पर छोड़ दिया गया था कि इसकी धारा 1(2) के संबंध में इसके प्रावधानों को कब लागू किया जाएगा। उन्होंने प्रस्तुत किया कि दुर्भाग्यवश, दो साल से अधिक समय बीत जाने के बावजूद, उक्त नाडा अधिनियम को अब तक लागू नहीं किया गया है। श्री पांडा के अनुसार, नाडा अधिनियम का यह गैर-प्रवर्तन जानबूझकर है क्योंकि इससे 2021 नियमावली के तहत प्रत्यर्थी सं. 2/नाडा द्वारा अत्यधिक शक्तियों के खुलेआम दुरुपयोग और अन्यायपूर्ण अभ्यास को छीन लिया जाएगा। उन्होंने प्रस्तुत किया कि उक्त अधिनियम के एक बार लागू हो जाने पर, वह

शक्तियाँ जो प्रत्यर्थीगण ने हथिया रखी हैं, उनके द्वारा काफी हद तक खो दी जाएंगी। इस कारण से प्रत्यर्थीगण नाडा अधिनियम को लागू नहीं कर रहे हैं।

5. विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत एक अन्य तर्क विश्व डोपिंग रोधी प्राधिकरण (जिसे आगे *"वाडा"* के रूप में संदर्भित किया गया है) द्वारा बनाए गए तंत्र के कथित कार्यान्वयन और इस बात से संबंधित है कि संसद ने नाडा अधिनियम, जो वाडा संहिता के असंगत है, को किस प्रकार यह सुनिश्चित करने के लिए कि घरेलू खिलाड़ियों को राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय खेल आयोजनों में किसी भी प्रकार के उत्पीड़न का सामना न करना पड़े अधिनियमित करने का प्रयास किया है।

6. उसके अलावा, विद्वान अधिवक्ता ने 2021 नियमावली के प्रावधानों का उल्लेख किया, विशेष रूप से डोपिंग रोधी नियम उल्लंघनों के संबंध में नियमों के अनुच्छेद 2 का। उन्होंने विशेष रूप से उप अनुच्छेद 2.1.1 का उल्लेख किया, जिसमें कहा गया है कि निर्दोषता साबित करने का भार खिलाड़ियों पर डाला गया है। दूसरे शब्दों में, विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि यह प्रमाण का भार पूरी तरह से खिलाड़ियों पर रखा गया है कि

उनके शरीर में कोई निषिद्ध पदार्थ नहीं गया है, जो कि कठिन होगा। उन्होंने प्रस्तुत किया कि ऐसी कई स्थितियाँ हो सकती हैं, जहाँ इस प्रकार के निषिद्ध पदार्थ निर्दोषता में दूसरों द्वारा प्रदान की गई वस्तुओं के सेवन के माध्यम से खिलाड़ियों के शरीर में प्रवेश कर सकते हैं। विद्वान अधिवक्ता के अनुसार, यह खिलाड़ियों को किसी भी ऐसे पदार्थ के दुरुपयोग के प्रति असुरक्षित छोड़ देगा।

7. विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि प्रत्यर्थीगण द्वारा अपीलार्थी से मूत्र के नमूने एकत्र किए जाने के बावजूद, उसके संबंध में रिपोर्ट, यानी प्रयोगशाला दस्तावेज, अपीलार्थी को अब तक प्रदान नहीं किए गए हैं। उन्होंने प्रस्तुत किया कि ऐसी परिस्थितियों में, विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा अपीलार्थी को ए.डी.डी.पी. के सामने उपस्थित होने के लिए निर्देशित किया जाना उसके संवैधानिक और मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होगा। उन्होंने प्रस्तुत किया कि एक बार अपीलार्थी इस प्रकार की कार्यवाही का पालन करने पर मजबूर हो जाती है, तो वह 2021 नियमावली की वैधता को चुनौती नहीं दे पाएगी, जो उसके अनुसार असंवैधानिक हैं।

8. विद्वान अधिवक्ता ने यह भी प्रस्तुत किया कि विद्वान एकल न्यायाधीश को अपीलार्थी द्वारा उठाए गए मुद्दों को किसी भी तरह से तय करना चाहिए था, बजाय इसके कि अपीलार्थी को उस प्राधिकरण के पास वापस भेज दिया, जिसकी अधिकारिता और प्राधिकार को अपीलकर्ता द्वारा चुनौती दी गई है। विद्वान अधिवक्ता के अनुसार, आक्षेपित आदेश में एकल न्यायाधीश द्वारा विधि के प्रश्न को अनिर्णीत छोड़ा जाना अर्थहीन है, क्योंकि यह अपीलार्थी को 2021 नियमावली के प्रावधानों के गंभीर दुरुपयोग के प्रति असुरक्षित छोड़ता है।

9. उन्होंने प्रस्तुत किया कि वर्ष 2015 में बनाए गए समान नियमों के संबंध में पिछले मुकदमेबाजी के दौरों में भी, कुछ अन्य खिलाड़ियों द्वारा चुनौती लगभग समान आधारों पर प्रस्तुत की गई थी। विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि, उन मामलों में, चूंकि नमूनों के परिणाम नकारात्मक थे, इसलिए उन खिलाड़ियों को अनुशासनिक कार्यवाही से मुक्त कर दिया गया था। इस दृष्टिकोण से, 2015 नियमावली के प्रति पूर्व चुनौती अपने तार्किक निष्कर्षों तक नहीं पहुंची। उन्होंने प्रस्तुत किया कि वर्तमान मामला इस बात को इंगित और प्रदर्शित करता है

कि कैसे खिलाड़ी बार-बार प्रत्यर्थीगण द्वारा डोपिंग रोधी नियमों के गंभीर दुरुपयोग के प्रति असुरक्षित रहते हैं।

10. विद्वान अधिवक्ता ने नाडा अधिनियम के प्रावधानों का उल्लेख करते हुए कहा कि इस न्यायालय को इसके प्रावधानों पर, हालांकि इसे लागू नहीं किया गया है, यह निष्कर्ष निकालने के लिए विचार करना चाहिए कि ऐसे प्रावधानों में संसद का इरादा 2021 नियमावली की कठोरता को कम करना और पीड़ित खिलाड़ियों को सहायता प्रदान करना है।

11. विद्वान अधिवक्ता ने 2021 नियमावली, जिन्हें वाडा संहिता, 2021 के अनुसार संशोधित किए जाने का दावा किया गया था, पर भी इस आधार पर जोरदार हमला किया कि इन नियमों को सरकारी राजपत्र में अधिसूचित नहीं किया गया है और इस प्रकार, इनमें कानून की कोई शक्ति नहीं है। उन्होंने प्रस्तुत किया कि एक बार जब नियमों को अधिसूचित भी नहीं किया गया है, तो 2021 नियमावली के तहत अपीलार्थी के विरुद्ध प्रत्यर्थीगण द्वारा अनुशासनिक कार्यवाही शुरू करने का सवाल शुरू से ही गैरकानूनी, अवैध और शून्य है। इसी कारण से, उन्होंने प्रस्तुत किया कि अपीलार्थी के मामले पर विचार

करने के लिए कथित प्रावधानों के तहत गठित ए.डी.डी.पी. भी शुरू से ही अवैध और शून्य होगा। उन्होंने प्रस्तुत किया कि इस प्रकार, 2021 नियमावली के तहत ए.डी.डी.पी. द्वारा जारी किया गया दिनांक 03.04.2024 का नोटिस भी शुरू से ही शून्य होगा। सभी बाद की कार्यवाही भी शुरू से ही अवैध और शून्य होंगी।

12. इस न्यायालय ने अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री पांडा की दलीलें सुनी हैं।

13. विधायिका को आदेश जारी करने के संबंध में रिट न्यायालय की शक्ति के संबंध में कानून अच्छी तरह से स्थापित है। कोई भी संवैधानिक न्यायालय विधायिका को एक विशेष विषय को एक विशेष तरीके से अधिनियमित/अधिसूचित करने के लिए परमादेश जारी नहीं कर सकता। इस न्यायालय का दृष्टिकोण **उच्चतम न्यायालय कर्मचारी कल्याण संघ बनाम भारत संघ,** (1989) 4 एससीसी 187 और **जम्मू और कश्मीर राज्य बनाम ए.आर. ज़की,** 1992 सुप (1) एससीसी 548 में उच्चतम न्यायालय के निर्णयों द्वारा सुदृढ़ है। उक्त निर्णयों के प्रासंगिक अनुच्छेद यहां निम्नलिखित रूप में प्रस्तुत हैं :-

उच्चतम न्यायालय कर्मचारी कल्याण संघ, *(पूर्वोक्त)*

> *"**51.** इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता कि कोई भी न्यायालय किसी विधायिका को किसी विशेष कानून को लागू करने का निर्देश नहीं दे सकता है। इसी तरह, जब एक कार्यपालक प्राधिकारी विधानमंडल के प्रत्यायोजित प्राधिकार के तहत अधीनस्थ विधान के माध्यम से विधायी शक्ति का प्रयोग करता है, तो ऐसे कार्यपालक प्राधिकारी को कोई ऐसा कानून लागू करने के लिए नहीं कहा जा सकता जो उसे प्रत्यायोजित विधायी प्राधिकार के तहत करने के लिए सशक्त किया गया हो।"*

ए.आर. ज़क्की, *(पूर्वोक्त)*

> *"**10.** हमारी राय में इस प्रस्तुति में काफी गुणागुण है। किसी विशेष विधान को लागू करने के लिए विधायिका को परमादेश जारी नहीं किया जा सकता है...."*

उपरोक्त से स्पष्ट है कि एक संवैधानिक न्यायालय को सरकार को अधिनियम को अधिसूचित करने और लागू करने के लिए किसी भी प्रकार का परमादेश जारी करने से रोका गया है। इसलिए, अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का नाडा अधिनियम पर निर्भर हो प्रस्तुत किया गया तर्क गलत है और उक्त निर्णयों के संदर्भ में अस्वीकार किया जाता है।

14. जहाँ तक विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्क कि 2021

नियमावली अधिसूचित नहीं की गई है और इस प्रकार, इन्हें कानून की शक्ति प्राप्त नहीं है, साथ ही तथ्यों पर अन्य तर्कों का भी संबंध है, इस न्यायालय ने इसे फिलहाल अनिर्णीत और पक्षकारों के पास आरक्षित रखना उपयुक्त समझा है, क्योंकि तथ्य संबंधी विवादित प्रश्न मौजूद हैं जिनका निर्णय ए.डी.डी.पी. द्वारा किया जाएगा। इसके अलावा, यह बर्दाश्त नहीं किया जा सकता कि इस दौरान अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजनों में भाग लेने की इच्छा रखने वाले खिलाड़ियों/एथलीटों की निगरानी, पर्यवेक्षण और विनियमन के लिए कोई विनियम नहीं होंगे।

15. यह आलोक में लाना महत्वपूर्ण है कि भारत ने संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन (यूनेस्को) के खेल में डोपिंग के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय समझौते ("डोपिंग-रोधी समझौता") को 7 नवंबर, 2007 को अनुमोदित किया है, जिसे विश्व डोपिंग-रोधी एजेंसी (वाडा) द्वारा अपनाई गई संहिता को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। इसलिए, भारत, जिसने समझौते को अनुमोदित किया है, ने घरेलू मानकों को भी वाडा संहिता के अनुकूल बनाने पर सहमति व्यक्त की है।

संविधान के अनुच्छेद 73 के अनुसार, संघ की

कार्यपालिका शक्ति, संसदीय कानून की अनुपस्थिति में, उन मामलों तक विस्तारित होती है जिन पर संसद को कानून बनाने की शक्ति है, बशर्ते संवैधानिक सीमाओं का पालन किया जाए। इसके अलावा, संविधान का अनुच्छेद 73(1)(ख) यह प्रदत्त करता है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति उन अधिकारों, प्राधिकार और क्षेत्राधिकार के प्रयोग तक भी विस्तारित होगी, जो भारत सरकार द्वारा किसी संधि या समझौते के आधार पर प्रयोग किए जा सकते हैं।

भारत राज्य की संधि संबंधी बाध्यताओं को संविधान के अनुच्छेद 51(ग) के तहत प्रदान किया गया है, जिसमें कहा गया है :-

> *"51. अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना। — राज्य निम्नलिखित प्रयास करेगा :-*
>
> *XXXXXXXXXXXXX*
>
> *(ग) संगठित लोगों के एक दूसरे के साथ व्यवहारों में अंतर्राष्ट्रीय कानून और संधि बाध्यताओं के प्रति सम्मान सम्मान को बढ़ावा देना।*

उपरोक्त अनुच्छेद की व्याख्या उच्चतम न्यायालय द्वारा **सीमा शुल्क आयुक्त, बैंगलोर बनाम जी.एम. एक्सपोर्ट्स,** (2016) 1 एससीसी 91 में की गई थी, जिसमें निम्नानुसार

अभिनिर्धारित किया गया था :—

"23. उपरोक्त प्राधिकारियों का सिंहावलोकन निम्नलिखित निष्कर्षों को प्रकट करेगा :-

(1) भारत के संविधान का अनुच्छेद 51(ग) राज्य नीति का एक निर्देशक सिद्धांत है जिसमें कहा गया है कि राज्य अंतर्राष्ट्रीय कानून और संधि बाध्यताओं के प्रति सम्मान बढ़ाने का प्रयास करेगा। नतीजतन, अंतर्राष्ट्रीय कानून के नियम जो घरेलू कानून के विपरीत नहीं हैं, उनका पालन इस देश के न्यायालय करते हैं। यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें एक ऐसी अंतरराष्ट्रीय संधि है जिस पर भारत हस्ताक्षरकर्ता नहीं है या जिसमें अंतर्राष्ट्रीय कानून के सामान्य नियम लागू किए जाते हैं। हैं। यह इस स्थिति में है कि जहां यदि घरेलू कानून और अंतर्राष्ट्रीय कानून के बीच टकराव होता है, तो घरेलू घरेलू कानून मान्य होगा।

(2) ऐसी स्थिति में जब भारत किसी अंतर्राष्ट्रीय संधि का हस्ताक्षरकर्ता राष्ट्र है, और उक्त संधि के अनुसरण में में एक कानून पारित किया जाता है, तो ऐसे कानून के ऐसे प्रावधानों, जो अस्पष्ट व अनेकार्थी हैं, का अर्थ निकालते हुए, इस अस्पष्टता का समाधान एक ऐसे अर्थ अर्थ के पक्ष में करने हेतु जो संधि के प्रावधानों के अनुरूप है, संधि की शर्तों का सहारा लेना एक वैध सहायता है।

(3) ऐसी स्थिति में जहां भारत एक अंतरराष्ट्रीय संधि का हस्ताक्षरकर्ता राष्ट्र है, और ऐसी संधि के प्रोत्साहन के लिए एक कानून बनाया जाता है, तो ऐसे कानून के संकीर्ण शाब्दिक अर्थान्वयन के बजाय एक उद्देश्यपूर्ण अर्थान्वयन को प्राथमिकता दी जाती है। इस तरह के कानून की व्याख्या का अर्थ पहले के घरेलू पूर्व निर्णयों के बजाय सामान्य स्वीकृति के व्यापक सिद्धांतों पर लगाया जाना चाहिए, जिसका उद्देश्य संधि बाध्यताओं

को पूरा करना है, और न कि उनके साथ असंगत होना।

(4) ऐसी स्थिति में जब भारत किसी अंतर्राष्ट्रीय संधि का हस्ताक्षरकर्ता राष्ट्र है, और संधि बाध्यताओं को लागू लागू करने के लिए एक कानून बनाया गया है, और यदि इस तरह के कानून की भाषा और संधि के संबंधित प्रावधान के बीच कोई अंतर है, तो कानूनी भाषा का अर्थ संधि के समान ही लगाया जाना चाहिए। यही कारण है कि ऐसे मामलों में अंतर्राष्ट्रीय संधि द्वारा द्वारा जो हासिल करने का प्रयास किया जाता है, वह एक एकरूप अंतर्राष्ट्रीय कानून की संहिता है जिसे सभी हस्ताक्षरकर्ता देशों के न्यायालयों द्वारा इस तरह से लागू किया जाना है जिससे सभी हस्ताक्षरकर्ता देशों में एक ही परिणाम प्राप्त हो।"

इसके अलावा, **विशाखा बनाम राजस्थान राज्य**, (1997) 6 एससीसी 241 में, उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि किसी भी क्षेत्र में उपयुक्त विधान की अनुपस्थिति में, अंतर्राष्ट्रीय समझौता और मानदंड जहां तक वे संवैधानिक भावना के अनुरूप हैं, उन पर भरोसा किया जा सकता है।

इसलिए, जहां भारत किसी अंतर्राष्ट्रीय संधि में एक पक्षकार नहीं भी है, वहां भी इस देश के न्यायालय अंतर्राष्ट्रीय कानून के उन नियमों का पालन करते हैं जो घरेलू कानून के विपरीत नहीं हैं। इसके अलावा, जहां भारत हस्ताक्षरकर्ता है और

उक्त संधि के अनुसार एक कानून बनाया गया है, कानून को संधि के पक्ष में एक "उद्देश्यपूर्ण" संरचना प्रदान की जाएगी। यदि कानून की भाषा और संधि के संबंधित प्रावधान के बीच अंतर हो, तो कानूनी भाषा का अर्थ उसी अर्थ में लगाया जाना चाहिए जैसा कि संधि में लगाया गया है। यही कारण है कि ऐसे मामलों में, अंतर्राष्ट्रीय संधि द्वारा जो हासिल करने का प्रयास किया जाता है, वह एक एकरूप अंतर्राष्ट्रीय कानून संहिता है जिसे सभी हस्ताक्षरकर्ता देशों के न्यायालयों द्वारा इस तरह से लागू किया जाना है जिससे सभी हस्ताक्षरकर्ता देशों में एक ही परिणाम प्राप्त हो।

उपरोक्त के आलोक में, जो स्थिति सामने आती है, वह यह है कि भारत, डोपिंग-रोधी समझौते का अनुमोदन करने के पश्चात, अंतर्राष्ट्रीय डोपिंग मानकों और नाडा नियमावली, 2021 का पालन करने के लिए बाध्य है, जो वाडा संहिता के अनुरूप बनाए गए हैं और संविधान के अनुच्छेद 73(1)(ख) के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह राष्ट्रीय डोपिंग-रोधी अधिनियम, 2022 के लागू होने तक कानून का प्रभाव रखेगी।

इस प्रकार, वर्तमान मामले में हस्तक्षेप करने से पहले

एडीडीपी द्वारा उसके समक्ष रखे गए सभी मुद्दों और तथ्य संबंधी प्रश्नों पर निर्णय लेने की प्रतीक्षा करना उचित होगा। इसके अलावा, यह सूचित किया गया है कि 2021 नियमावली को वाडा संहिता के अनुरूप बनाया गया है जो अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजनों के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लागू होती है। प्रथमदृष्टया, यह असामान्य होगा यदि यह न्यायालय यह अभिनिर्धारित करे कि कोई डोपिंग-रोधी विनियम नहीं हैं और साथ ही अंतर्राष्ट्रीय खेल समुदाय से हमारे एथलीटों और खिलाड़ियों को स्वीकार करने की उम्मीद करे, वह भी उनका संवैधानिक रूप से निर्धारित मापदंडों पर परीक्षण किए बिना। यह कहना पर्याप्त है कि ऐसी स्थिति अभी तक उत्पन्न नहीं हुई है।

16. विद्वान अधिवक्ता ने **एल्टेमेश रीन, अधिवक्ता, भारत का सर्वोच्च न्यायालय बनाम भारत संघ और अन्य,** (1988) 4 एससीसी 54 में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर भरोसा किया। उस मामले में भी, सर्वोच्च न्यायालय ने टिप्पणी की है कि एक रिट न्यायालय सरकार को अधिनियम को लागू करने का निर्देश देते हुए एक रिट जारी नहीं कर सकता है, लेकिन न्यायालय

अभी भी सरकार को समयबद्ध तरीके से इस पर विचार करने के लिए एक ऐसी रिट जारी कर सकता है। इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि संवैधानिक न्यायालय के लिए यह अनिवार्य नहीं है कि वह परमादेश की प्रकृति में ऐसा कोई निर्देश पारित करे। सरकार से किसी अधिनियम को अधिसूचित करने पर विचार करने का अनुरोध करने की प्रकृति में निर्देश पारित करने का निर्णय न्यायालय के विवेक पर आधारित है। अभी तक, यह न्यायालय ऐसा कोई निर्देश पारित करने के लिए इच्छुक नहीं है।

17. हमने विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आक्षेपित आदेश का अवलोकन किया है। यह स्पष्ट है कि विद्वान एकल न्यायाधीश ने मामले की इसके गुणागुण के आधार पर जांच नहीं की थी या विधि के प्रश्न की जांच नहीं की थी और केवल अपीलकर्ता को एडीडीपी द्वारा पारित किए जाने वाले आदेश को चुनौती देने की स्वतंत्रता प्रदान की थी। हमारा भी यह मत है कि वर्तमान मामले के तथ्यों में और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि एडीडीपी का गठन किया जा चुका है, जो अपीलार्थी के मामले पर विचार करेगा, इस स्तर पर कार्यवाही को रोकना उचित नहीं होगा।

18. उपरोक्त विश्लेषण को ध्यान में रखते हुए, हम विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय में हस्तक्षेप करने का कोई ठोस कारण तो दूर कोई कारण ही नहीं पाते हैं। परिणामस्वरूप, वर्तमान अपील को जुर्माने के संबंध में किसी भी आदेश के बिना खारिज किया जाता है तथा अपीलार्थी को विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा प्रदान की गई स्वतंत्रता को सुरक्षित रखा जाता है।

19. लंबित आवेदनों का भी निपटान किया जाता है।

तुषार राव गेडेला, न्या.

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश

9 जुलाई, 2024/ *केसीटी*

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : *देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित*

प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा| समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।